ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-5* Issue-10* January-2021
Anthology : The Research

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में फेटल सिंह की भूमिका

Fetal Singh's Role in The Indian National Movement

Paper Submission: 15/01/2021, Date of Acceptance: 26/01/2021, Date of Publication: 27/01/2021

उज्जवल कुमार भास्कर
शोध छात्र,
राजनीति विज्ञान विभाग,
तिलकामाँझी भागलपुर
विश्वविद्यालय,
भागलपुर, बिहार, भारत

सारांश

फेटल सिंह के नेतृत्व में खरवारों द्वारा चलाया गया वन आंदोलन का मुख्य ध्येय जंगलों पर आदिवासीयों की प्रथागत अधिकार की वापसी थी जिसका वे सरकार के वन विभाग द्वारा वन संसाधनों की प्रभावकारी व्यवस्था के लिए अधिनियम लागू किये जाने के पहले तक अबाध्य रूप से उपयोग किया करते थे। 1950 ई0 के मध्य में खरवारों में कॉंग्रेस सरकार के विरूद्ध पनपा असंतोष भूकरों में कमी यहां तक की भूकरों का उन्मूलन तथा वन सम्पदा का मुक्त उपयोग संबंधी प्रत्याशाओं का उपकर्ष था किंतु फेटल सिंह के नेतृत्व में खरवारों द्वारा चलाया गया वन आंदोलन बिना किसी वांछित उपलब्धि के समाप्त हो गया।

The main movement of the forest movement led by the weeds under the leadership of Fetal Singh was the withdrawal of the customary rights of the tribals over the forests, which they used uninterruptedly till the government's Forest Department implemented the Act for effective system of forest resources. Were. In the mid-1950s, discontent developed against the Congress government in weeds, the reduction of hunger was the result of hopes of eradication of hunger and the free use of forest wealth, but the forest movement led by weeds under Fetal Singh was without any desired achievement. Finished.

मुख्य शब्द : फेटल सिंह, अनुसूचित जाति, भूराजस्व और लगानदारी।
Fetal Singh, Scheduled Castes, Bhurajaswa and Lagandari.

प्रस्तावना

फेटल सिंह का जन्म गढ़वा जिला के रंका प्रखण्ड अंतर्गत बहाहारा गाँव में 07 मई 1885 ई0 में हुआ था। बहाहारा गांव तमगेकला पंचायत के अंतर्गत आता है। उनके जन्म के समय पलामू का अधिकांश भाग वनाच्छादित था और यह क्षेत्र शिकारियों का वर्ग माना जाता था। इस क्षेत्र का बेतला, गारू बारेसांढ़ बलिगढ़ जंगल आदि वन्य पशुओं–बाघ, भालू, चीता, गौर, सांमर, हिरण आदि से भरे हुए थे।[1] उस सय बहाहारा के पास कोई विद्यालय नहीं था। पढ़ने के लिए दस से बाहर मील दूर जाना पड़ता था। इस कारण फेटल भी किसी विद्यालय में जाकर विद्याध्ययन नहीं कर पाये। परन्तु गांव में ही उन्हें अनौपचारिक या व्यवहारिक शिक्षा अपने बुजुर्गो से मिलती रही।[2]

अंग्रेजों के द्वारा भूराजस्व और लगानदारी की दो पद्धतियां अपनायी थी। एक थी जमींदारी पद्धति और दूसरी रैयतदारी पद्धति। जमींदारी पद्धति के अंतर्गत लगान देने वाले पूराने रैयतों, राजस्व एकत्र करने वाले वर्ग और जमींदारों को जमीन संबंधी अधिकार देकर निजी भूस्वामी बना दिया गया था। साथ ही उन्हें अन्य ग्रामीण रैयतों का मालिक बना दिया गया था। रैयतदारी पद्धति के अंतर्गत सरकार खेती करने वाले उन रैयतों से सीधा राजस्व की वसूली करती थी, जिन्हें कानूनी तौर पर अपने कब्जे की फजली जमीन के स्वामिम्व का अधिकार प्राप्त था। लेकिन उनके स्वामित्व के अधिकार को सीमित कर दिया गया था। उनकी जमीन का राजस्व बन्दोवस्ती स्थायी ढंग से नहीं किया गया था। साथ ही राजस्व (लगान) की दर काफी अधिक निर्धारित की गई थी। झारखण्ड में इसका विरोध 18वीं सदी से ही हो रहा था। अंग्रेजों की गलत नीति के कारण जनजातीय क्षेत्र में एक प्रभावशाली आर्थिक और राजनैतिक शक्ति के रूप में कर्ज देने वाले ''महाजन वर्ग'' का उदय हुआ था। ऊँची दर पर निर्धारित लगान को चुकाने के लिए इस क्षेत्र के जनजातीय रैयतों को महाजनों से अत्यधिक सद् (डेढ़ी–बाढ़ी) की दर पर फसा लेना पड़ता था। और उसके एवज में उन्हें अपनी जमीन या फसल को बंधक रखना पड़ता था।[3] अगर

वे समय पर लगान या मालगुजारी को नहीं देते तो उनकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। महाजन फसल के तैयार हो जाने पर औने–पौने के दाम पर ही उनका अनाज सूद के एवज में ले लेते थे। इसका कौई विरोध नहीं कर पाता था क्योंकि न्यायतंत्र और प्रशानतंत्र का प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन उन्हें प्राप्त था। अनेक कर्ज घटकों को महाजन या जमींदार ''बन्धुआ मजदूर'' बनाकर पुस्त–दर–पुस्त उनसे मजदूरी करवाते थे। यह परम्परा पलामू में सबसे अधिक थी। इस तरह की सामंतवादी व्यवस्था आदिवासी या। अनुसूचित जाति और गरीब पिछड़ा वर्ग के शोषण और उत्पीड़न का सबसे बड़ा कारक बन गया था। फेटल सिंह भी इन अत्याचारों और शोषण की नीति के खिलाफ थे। अपने क्षेत्र में रंका राज के तहसीलदारों और उनके सिपाहियों द्वारा गरीब रैयतों पर लगान वसूली के नाम पर किये जाने वाली ज्यादतियों के कट्टर विरोधी हो गए थे। वे अपने पिता को भी राजा या उनके करीन्दों को समर्थन देने से मना करते थे। परन्तु पिता, पुराने विचार के थे। फिर भी वे अप्रत्यक्ष रूप से फेतल की भावनाओं का आदर करते थे। कई बार फेटल अपने युवा साथियों की मदद से राजा के सिपाहियों के अत्याचार से गरीब रैयतों को बचाते थे। लगन सिंह के चलते राजा के कर्मचारी भी फेवल सिंह से डरते थे। अब तक फेतल सिंह तीन पुत्रों के पिता बन गए थे और उनमें काफी प्रोढ़ता आ गयी थी। अब तक उन्होंने ''खरबार–भोगता दल'' को पूरी तरह गठन कर लिया था, जिसका क्षेत्र रंका के साथ–साथ भंडारिया भी था। उस क्षेत्र में फेटल सिंह का प्रभाव काफी तेजी से बढ़ा था और उनको अपनी पंचायत का तथा महापंचायत का भी समर्थन प्राप्त हो गया था।[4]

इसी अवधि में राँची पलामू और गुमला में अँगेजों और जमींदारों के जुल्म के खिलाफ 1914 ई0 से ही गुमला जिला के बिशुनपुर थाना के चिंगारी ग्राम निवासी जतरा उराँव के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू हो चुका था, जो आगे चलकर ''टाना भगत'' आंदोलन के नाम से जाना गया। यह पूर्व में एक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था। पर बाद में जंगल और जमीन पर अपना अधिकार कायम करने, मनमाने दर पर लगान न देने, बैठबेगारी न करने, जमींदार और ठेकेदारों के जुल्म से राहत पाने आदि मुद्दों को लेकर यह आंदोलन काफी उग्र हो गया था। इस आंदोलन में उराँव के अलावे खरवार भोगता, लोहरा, आदि जनजाति समुदाय के लोग भी शामिल हो गए थे। इसके समर्थक भी जंगल पर आदिवासियों के अधिकार को फिर से बहाल करने की मांग कर रहे थे। जतरा भगत ने लोगों से कहा कि ''परमेश्वर यह नहीं चाहते हैं कि जमींदार और गैर–आदिवासियों की जमीन पर और उनके अधीन रेजा–कुली का काम हम करें। धर्मेश की पवित्रता से पूजा करने वाले बलि प्रथा का त्याग करने, शराब हड़िया को छोड़ने और पवित्र जीवन बिताने से उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेंगी। यह आंदोलन पूर्व में हुए सरदार आंदोलन और बिरसा आंदोलन से प्रभावित था। गढ़वा, टंका भंडारिया आदि के अनेक खरवार–भोंगता इस आंदोलन के समर्थक थे। यह आंदोलन धीरे–धीरे बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गया था। जतरा भगत के अनन्य सहयोगी बलराम भगत, देवमनिया भगत, राम लखन लोहरा आदि प्रमुख थे। इस आंदोलन के प्रथम चरण में पुराने प्रेतों और देवताओं (बोंगा) को अपनी जमीन से उखाड़ फेंका गया। टाना भगत यह विश्वास करते थे कि व्यक्ति और समुदाय का भाग्य और भविष्य धर्मेश द्वारा निर्देशित अलौकिक शक्तियों पर निर्भर करना और जिन्हें पाने के लिए अच्छा आचरण, सद्विचार, सात्विक और सादा खान–पान आदि आवश्यक है। वे यह भी विश्वास करते थे कि पाप और अत्याचार के कारण ही उनके क्षेत्र में लगातार धर्मेश के साथ सूर्य, चन्द्रमा, तारा, पृथ्वी आदि की पूजा पर जोर देते थे। साथ ही, हिन्दुओं की देवी–देवता, इन्द्र, गणेश, जगन्नाथ आदि की भी पूजा करने लगे थे। उनमें यह लोक विश्वास भर गया था कि बिरसा भगवान और जर्मन बाबा की अवधारण क्रिश्चियन मिशन से जुड़ी हुई मालूम पड़ती है। बाद में 1921 ई0 में यह आंदोलन गांधी जी के राष्ट्रीय और असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुआ और वे गांधीवादी विचारों के समर्थक हो गए। इस प्रकार टाना भगत आंदोलन 1921 से एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। 1822 में टाना भगतों ने काँग्रेश के गया अधिवेशन में भाग लिया था और वहाँ लिए गए निर्णयानुसार जमीन का लगान देना बंद कर दिया गया था। इसके फलस्वरूप अनेक टानाभगतों की जमीन जमींदारों ने नीलाम कर दिया था और वे भूमिहीन मजदूर बना दिया गए। परन्तु टाना भगतों ने अपने आंदोलन को जारी रखा। अब वे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना और स्वदेशी कपड़ा पहनना शुरू कर दिए थे। फेटल सिंह के दल में विभिन्न क्षेत्रों से युवा वर्ग के भोगता–खरबार शामिल होने लगे थे। बहाहारा के ठाकुर सिंह खरवार, दयाली सिंह खरवार, बासुदेव भोगता, गोबिन्द सिंह खरबार, जसोबार के सुमन सिंह, पिंडरा के मंगर सिंह, डहरू सिंह, तमगे कला के टिभल सिंह, गोसेदाग के गज्जू सिंह आदि उनके सहयोगी और कट्टर समर्थक थे। साथ ही सुरगुजा (मध्य प्रदेश) स्थित रामचन्द्रपुर के महादेव सिंह खरवार और खोबी के चुन्नी सिंह खरवार भी उनके समर्थक थे।[5]

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में फेटल सिंह की भूमिका का अध्ययन करना है।

विषय विस्तार

इसके बाद 1920–21 में महात्मा गाँधी द्वारा अंग्रेजी शासन के विरूद्ध छेड़े गए ''भारत छोड़ो आंदोलन'' 1942 के पूर्व की पृष्ठभूमि ''स्वदेशी'' और ''असहयोग'' आंदोलन के रूप में शुरू हुई थी। इस असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था :– अंग्रेजी शासन के विरूद्ध असहयोग व्यक्त करना और उसकी नीति की अवहेलना या उल्लंघन करना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गाँधी जी के निर्देशन में कई संकल्प लिए गये थे, जिसमें गढ़वा–पलामू के कांग्रेश कार्यकर्त्ता तथा उनके अनेकों समर्थक शामिल थे। पलामू कांग्रेश कमिटी द्वारा गांव–गांव घुमकर एक अभियान चलाया जा रहा था। जिसके तहत प्रभात फेरी, जुलूस, सभा आदि का आयोजन किया जा

रहा था। कांग्रेश के तीन हजार से अधिक ''चवन्नियाँ'' सदस्य इस प्रचार में जोर शोर से लगे हुए थे। उनमें मुख्य लोगों में से धनुष प्रसाद सिंह, जतन सिंह, गायत्री महतो, राजेश्वर अग्रवाल, अमित कुमार घोष, कृष्ण नन्दन, सहाय, राजेन्द्र प्रसाद सिंहा, धनी सिंह खखार, गनौरी सिंह खरवार, फेतल सिंह, रामचन्द्र खरवार आदि का नाम सक्रिय एवं जुझारू कार्यकत्ताओं के रूप में नाम आया था।[6] इस कार्यक्रम में निम्ननांकित संकल्पों को मूर्त रूप दिया गया था :–

1. सरकारी पदों एवं उपाधियों का बहिष्कार एवं परित्याग।
2. सरकार द्वारा आयोजित दरबार, समारोह, उत्सव आदि का बहिष्कार।
3. सरकारी स्कूलों का बहिष्कार
4. कांउसिल के चुनाव में भाग नहीं लेना और लोगों को इस चुनाव में भाग लेने से रोकना
5. वकीलों द्वारा ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार।
6. विदेशी वस्तुओं और वस्त्रों का परित्याग।
7. किसी प्रकार का लगान या कर नहीं देना।

इसी संदर्भ में डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई थी। इस प्रकार इन संकल्पों का प्रचार–प्रसार पूरे पलामू के साथ रंका–भंडरिया तथा अन्य खरवार बहुल क्षेत्रों में फेटल सिंह तथा उनके अन्य सहयोगियों द्वारा किया गया। फलस्वरूप विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार स्वदेशी कपड़ों के व्यवहार का आंदोलन काफी तेज हो गया था। छात्र सरकार द्वारा सत्यापित जिला स्कूल का बहिष्कार करने लगे और राष्ट्रीय विद्यालय में दाखिला लेने लगे थे। वकीलों द्वारा अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर के कोर्ट का बहिष्कार किया जाने लगा। अंग्रेजी शासन इससे थोड़ा चिन्तित हुआ। इसके तहत प्रशासनिक सुधार के लिए 1927 में साइमन कमिशन बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष सर साइमन थे। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस कारण इसका बहिष्कार शुरू हो गया था। गढ़वा और डाल्टनगंज में सभा आयोजित कर इस कमिशन का विरोध किया गया और उपस्थित लोगों ने जोर–जोर में नारा लगाया– ''साइमन कमिशन वापस जाओ, ब्रिटिश सरकार मुर्दाबाद, अंग्रेजी अत्याचार नहीं सहेंगे'' आदि।[7]

1930 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ था। उस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया गया था। उस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन में पारित ''सिविल नाफरमानी'' (सरकार से असहयोग) और सरकारी आदेशों का उल्लंघन का प्रस्ताव पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया गया था। पलामू–गढ़वा में भी इसके तहत सरकारी आदेशों को न मानना तथा लगान आदि नहीं देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई और वस्त्रों और सामानों की होली जलाई जाने लगी। इस अवसर पर जगह–जगह कांग्रेस का तिरंगा झंडा भी फहराया गया था और गांधी जी और जवाहर लाल नेहरू के साथ–साथ रामधनी सिंह आदि स्थानीय नेताओं के जयकारे के नारे भी लगाये गये थे। जिला प्रशासन अब और अधिक सर्तक होने लगा था। फेतल सिंह का गांव बहाहारा एक छोटा गांव था और चारों और से घने जंगलों से घिरा हुआ था। वहाँ किसी लिए पहुँच पाना आसान नहीं था। वहाँ कई दिनों तक तिरंगा फहराता रहता था। बाद में राजा के सिपाहियों की सूचना पाकर पुलिस वाले पहुँचकर झंडा हटा दिए थे। परन्तु फेटल सिंह अपने दल के साथ बलिगढ़ के घने जंगल में चले गए थे। उनके साथ तमगे कला, जोगी खुरा, पिंडरा, केदाल, चेमो, सनया आदि के सहयोगी भी थे। इस आंदोलन को दबाने के लिए प्रशासन द्वारा गढ़वा पलामू के सभी प्रमुख नेताओं को विभिन्न आरोपों के तहत् गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी क्रम में कांग्रेश पार्टी को गैर–कानूनी घोषित कर देने पर आंदोलन और तेज हो गया था। लगभग 250 से अधिक लोगों को जेल में ठूस दिए गए थे। परन्तु 1931 में गांधी– डरविन समझौता के तहत् सभी छोड़ दिए गये थे।[8]

1936 में पलामू में सुभाष चन्द्र बोस का भी आगमन हुआ था उनके जोशीले भाषण और आजाद हिन्द फौज के गठन ने भी क्रान्तिकारी युवकों में विशेष जोश भर दिया था। उसके भाषण सुनने और उन्हें देखने के लिए भी फेटल सिंह के कई साथी गए थे। करीब 24 अप्रैल, 1936 में ही पंडित मदन मोहन मालवीय का भी आगमन डाल्टनगंज में हुआ था। उन्होंने गाँधी जी के अंहिसक आंदोलन को सही दिशा प्रदान की तथा उस समय कांग्रेस पार्टी के देवकी नन्दन सिंह, पुरन, चन्द्र भुवनेश्वर चौबे काजी साद, गौरी शंकर ओझा, भागीरथ सिंह खखार आदि के साथ भोगता–खरवार बहुल क्षेत्र रंका, भंडारिया, गारू लातेहार आदि का दौरा कर लोगों को असहयोग आंदोलन के लिए काफी प्रोत्साहित और संगठित किया था। फेटल सिंह भी उन लोगों के सम्पर्क में आकर गांधीवादी मार्ग पर चलने का संकल्प लिया था। निरक्षर होते हुए भी फेटल सिंह में किसी बात को समझने, उसकी व्याख्या करने तथा उसे तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने की अद्भूत क्षमता थी। अपने घर गृहस्थी से अधिक वे इस आंदोलन में समय देते थे। कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत और कार्यक्रम को वे अपने भोगता दल द्वारा भी कार्यान्वित करवाना चाहते थे। उनके दल के भोगता खरवार लोगों को यह शक्ति प्राप्त है, जिसके चलते उनमें इतना अधिक ज्ञान आ गया था। उस क्षेत्र में भोगता–खरवार द्वारा किए जो असहयोग आंदोलन का प्रचार–प्रसार कन्हर नदी के उस पार सुरगुजा के खरवार बहुल क्षेत्र में भी प्रचारित हो गया था और वहां के खरवार भी फेटल सिंह के सम्पर्क में रहते थे। चेमो– सनेया के नीलाम्बर–पीताम्बर के वंशज भी फेटल सिंह के नेतृत्व को मानते थे।[9]

इसी प्रकार पलामू और गढ़वा के सुदूरवर्ती आदिवासी और विशेषकर खरवार भोगता बहुल क्षेत्र में ''भारत छोड़ो'' आंदोलन का बड़ा व्यापक प्रभाव रहा था। गांधी जी के संदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार हुआ था। इसके तहत सामुहिक चरखा कताई, शराब की भट्ठियों और विदेशी सामान बेचने वाली दुकानों का विरोध, विदेशी वस्त्रों की होली जलाना आदि प्रमुख कार्य क्रम सफलता पूर्वक चलाये गये थे। साथ ही, लोगों ने जगह–जगह ग्राम रक्षा समितियों का भी गठन किया था।[10] फेटल सिंह ने अपने क्षेत्र से ''बन्दी राहत कोष'' के लिए कुछ धन भी

एकत्रित किए थे। गढ़वा पलामू में इस आंदोलन के प्रथम चरण की सफलता का फल तब देखने को मिला जब 1946 में अंतरिम सरकार के गठन में कांग्रेश को सर्वाधिक मत चुनाव में मिले। उस क्षेत्र के अग्रणी और वरिष्ठ नेता एवं अधिवक्ता देवकी प्रसाद सिंह को संविधान सभा के सदस्य के रूप में मनोनित किया गया।[11]

निष्कर्ष

1942 के आंदोलन से जुड़ने के कारण फेटल सिंह की पहचान उस क्षेत्र के एक जुझारू नेता के रूप में हुई, वहीं इसका प्रभाव उनकी घर गृहस्थी पर प्रतिकूल रूप से पड़ा था राष्ट्र एवं राज्य के शीर्षस्थ नेतागण से उनका परिचय हुआ था और वे महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी बन गए थे। उनके समर्थकों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई थी। परन्तु उनकी खेती काफी पिछड़ गई थी। इस बीच उनके माता–पिता का स्वर्गवास हो चुका था और उनके छोटे भाई खेती का काम किसी तरह चला रहे थे। आर्थिक तंगी और लिए गए संकल्प के तहत लगान देना वे बन्द कर दिए थे। जिसके कारण कुछ जमीन उनके हाथ से निकल गयी थी। महाजनों का कर्ज भी उनके परिवार पर बाँकी था। फिर भी वे अपने आंदोलन के पथ से विचलित नहीं हुए थे। उनके मन में यह विश्वास काफी दृढ़ था कि गांधी जी के कथनानुसार उनका पुराना जंगल और जमीन का अधिकार वापस मिल जायेगा। खरवार भोगतादल के सदस्य भी उनकी बातों पर पूरा भरोसा करते थे।[12]

1942 के इस आंदोलन के फलस्वरूप यह हुआ कि बिहार में प्रथम अंतरिम सरकार का गठन 3 अप्रैल 1946 को हुआ और श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने। उनके साथ अनुग्रह नारायण सिंह, जगलाल चौधरी आदि मंत्री बनाये गए थे। जब लार्ड माउन्ट बेटेन भारत के बाईसराय बनाये गये तो लोगों के मन में यह विश्वास हो गया था कि अब पूरी आजादी शीघ्र मिल जायेगी। अंततः ब्रिटिश सरकार के केबिनेट द्वारा भारत को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करने की सहमति दी गई और एक लम्बे आंदोलन और संघर्ष के बाद भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। परन्तु मु0 जिन्ना के अड़ियल रूख के कारण भारत का कुछ भाग कट कर पाकिस्तान बन गया। भारत की स्वतंत्रता का चिराकांक्षित सपना पूरा होने पर गढ़वा–पलामू क्षेत्र में भी खुशी की लहर दौड़ गयी थी। परन्तु भारत पाकिस्तान के विभाजन के कारण साम्प्रदायिक दंगो की पीड़ा से यह क्षेत्र भी तिलमिला गया था और छिटफुट घटनाएं भी घटित हुई थी। परन्तु प्रशासन की सतर्कता और सौहार्दपूर्ण नेतृत्व के कारण लोगों को क्षति नहीं उठानी पड़ी थी।[13]

अब उनके सामने अपने अधिकार में लिए गए बकास्त और गैरमजरूआ जमीन को अपने नाम पर बन्दोबस्त कराने की चिन्ता थी। अभी तक इस तरह का सैकड़ो एकड़ जमीन उनके तथा अन्य रैयतों के दखल–कब्जे में भी जिसका रंका राजा द्वारा पट्टा या बंन्दोबस्ती का लिखित अधिकार नहीं दिया गया था। अभी भी उस क्षेत्र के अंधिकांश रैयत राजा की कृपा पर वैसी जमीन को जोत–कोड़ कर रहे थे। फेटल सिंह इस संदर्भ में कई बार राजा के पटवारी और तहसीलदार से अनुरोध कर चुके थे। परन्तु उन्हें केवल आश्वासन ही मिलता रहा था। वे कांग्रेश के कई नेतागण से भी अपनी समस्या सुना चुके थे। परन्तु उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ था। वे सुन रहे थे कि सरकार अब जल्द ही जमीन्दारी प्रथा समाप्त करने वाली है। अब वे धौर्यपूर्वक उस दिन की प्रतिक्षा कर रहे थे अब सरकार द्वारा जमींदारी की क्रूर प्रथा को समाप्त कर दिया जायेगा।[14]

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *सिन्हा आदित्य प्रसाद, अमर शहीद फेटल सिंह खरवार : एक जीवनी, प्रकाशक– झारखण्ड सरकार कल्याण विभाग झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान राँची, प्रथम संस्करण– 2010, पृष्ठ संस्था– 14*
2. *सिन्हा आदित्य प्रसाद, अमर शहीद फटल सिंह खरवार, एक जीवनी, प्रकाशक, झारखण्ड सरकार कल्याण विभाग झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान मोहराबादी, राँची, प्रथम संस्करण– 2010, पृष्ठ संख्या– 23*
3. *सिन्हा आदित्य प्रसाद, अमर शहीद फेटल सिंह खरबार : एक जीवनी प्रकाशक, झारखण्ड सरकार कल्याण विभाग झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोद्य संस्थान मोहराबादी, राँची, प्रथम संस्करण– 2010, पृष्ठ संख्या– 41*
4. *बीरोतम बी0, झारखण्ड : इतिहास एवं संस्कृति प्रकाशक– बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी पटना, षष्ठ संस्करण :– फरवरी, 2016, पृष्ठ संख्या– 523, 524*
5. *वीरोतम बी0, झारखण्ड : इतिहास एवं संस्कृति प्रकाशक– बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी पटना, षष्ठ संस्करण :– फरवरी, 2016, पृष्ठ संख्या– 525*
6. *सिन्हा आदित्य प्रसाद अमर शहीद फेटल सिंह, खरवार : एक जीवनी, प्रकाशक– झारखण्ड सरकार कल्याण विभाग झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान मोहराबादी राँची, पृष्ठ, प्रथम संस्करण– 2010, संख्या– 45*
7. *सिन्हा आदित्य प्रसाद, अमर शहीद फेटल सिंह खरवार : एक जीवनी, प्रकाशक–झारखण्ड सरकार कल्याण विभाग झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान मोहराबादी, राँची, पृष्ठ, प्रथम संस्करण– 2010, संख्या– 46, 47*
8. *वर्मा उमेश कुमार, शहीद विशेषांक, प्रकाशक– बुलेटिन बिहार जनजातीय कल्यण शोध संस्थान मोहराबादी, राँची–8, बिहार सरकार, कल्याण विभाग, VOl. XXXVII, जनवरी 1998, पृष्ठ संख्या– 42*
9. *वर्मा उमेश कुमार, शहीद विशेषांक प्रकाशक–बुलेटिन बिहार जनजातीय कल्याण शोध संस्थान मोहराबादी राँची– 8, बिहार सरकार, कल्याण विभाग, VOl. XXXVII, जनवरी 1998, पृष्ठ संख्या– 43, 44*
10. *वीरोतम बी0, झारखण्ड : इतिहास एवं संस्कृति, प्रकाशक– बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी पटना, षष्ठ संस्करण : फरवरी 2016, पृष्ठ संख्या– 526*
11. *सिन्हा आदित्य प्रसाद, अमर शहीद फेटल सिंह खरवार : एक जीवनी, प्रकाशक– झारखण्ड सरकार कल्याण विभाग झारखण्ड जनजातीय कल्यण शोध संस्थान, राँची, प्रथम संस्करण–2010, पृष्ठ संख्या– 48*

12. *सिन्हा आदित्य प्रसाद, अमर शहीद फेटल सिंह खरवार : एक जीवनी, प्रकाशक– झारखण्ड सरकार कल्याण विभाग, झारखण्ड जनजातीय कल्याण–शोध संस्थान राँची, प्रथम संस्करण–2010, पृष्ठ संख्या– 53*
13. *सिन्हा आदित्य प्रसाद, अमर शहीद केटल सिंह खरवार : एक जीवनी, प्रकाशक– झारखण्ड सरकार कल्याण विभाग, झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान राँची, प्रथम संस्करण–2010, पृष्ठ संख्या– 55*
14. *सिन्हा आदित्य प्रसाद, अमर शहीद फेटल सिंह खरवार : एक जीवनी, प्रकाशक– झारखण्ड सकरार कल्याण विभाग झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान राँची, प्रथम संस्करण–2010, पृष्ठ संख्या– 56*